न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 78/2019 **(RCMS No. 2019/00146)**

वादी

1. चोखाराम पुत्र कानाराम जाति बलाई निवासी कांकरिया तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दानाराम पुत्र गणेशराम जाति रेगर निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
2. नारायणराम पुत्र प्रेमाराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. मुकेश पुत्र भरतलाल जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
4. मदनलाल पुत्र मंगनाराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
5. मूलचन्द पुत्र मंशाराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
6. श्रीमति शान्तिदेवी पत्नी स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
7. पूरणमल पुत्र स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
8. मीरादेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
9. कोयलीदेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
10. सावित्रीदेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
11. आंचीदेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
12. मुन्नीदेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
13. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल, कुचामनसिटी
14. राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

वाद बाबत भू–विभाजन एवं इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T. Act 1955

उपस्थित – श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 11-12-2019

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 21 रकबा 1.28 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की कब्जासुदा, खातेदारीसुदा स्वामित्व की [illegible] भूमि में 3/32 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है तथा वादी अपने [illegible] पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, खसरा नम्बर 21 की भूमि का अभी तक [illegible] बटवारा नही किया हुआ है लेकिन मौके पर उपरोक्त खसरा नम्बर 21 में से भूमि रकबा 0.12 हैक्टर भूमि वादी के कब्जे काश्त में है तथा शेष खसरा की भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 12 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:54:59 IST
Reason: SelfAttested

...2...

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपरोक्त भूमि का बंटवारा नही होने से वादी को ऋण लेने, भूमि का रूपान्तरण करवाने व अन्य सुविधा प्राप्त करने में भारी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, भूमि का मूल्य अधिक बढ़ जाने से प्रतिवादीगण के मन मे अब कुठाराघात उत्पन्न हो गया है इसलिये वादी द्वारा विधिवत बंटवारा करवाकर अलग-अलग खातेदारी दर्ज करवाने के लिये प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये जिससे वादी अपने हक हिस्से की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 21 मे से भूमि रकबा 0.12 हैक्टर भूमि अपने नाम से अलग खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहते है तथा वादी के हिस्से की भूमि को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D मे दर्शाया गया है जिसको वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, बिनाय दावा वादी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 21 का अन्य सहखातेदार की सहमति से मौके पर विधिवत बंटवारा करके खसरा नम्बर 21 मे से भूमि रकबा 0.12 हैक्टर भूमि अलग करके कब्जा काश्त वादी अकेले द्वारा करने पर अन्य सहखातेदारान द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अलग से वादी के नाम दर्ज नही करवाने पर बमुकाम दीपपुरा में उत्पन्न हुआ है, प्रतिवादीगण 1 ता 5 सहखातेदार होने तथा प्रतिवादी सं. 6 ता 12 पति/पिता हणमानराम की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक उत्तराधिकारी होने से तथा प्रतिवादी स 13 एवं 14 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 21 में से भूमि रकबा 0.12 हैक्टर का नजीर नक्शा मे दर्शित मार्क A, B, C, D के अनुसार बंटवारा करवाकर वादी की खातेदारी व बंटवारा करवाकर वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की अलग खातेदारी घोषित कर प्रतिवादीगण संख्या 14 को आदेश जारी करे कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 21 में से 0.12 हैक्टर भूमि नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D के अनुसार वादी के नाम अलग खातेदारी दर्ज की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2075-2078, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:54:59 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई जिसने कथन किया है कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 21 में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार 0.12 हैक्टर को खातेदार घोषित किया

...3...

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जावे । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादी का नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड, साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रतिवादी का उपस्थित नही होने से होती है। अतः वाद वादी काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 21 रकबा 1.28 हैक्टर मे से 0.12 हैक्टर का वादी को नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 11-12-19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:54:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी

वादी बनाम प्रतिवादीगण

चोखाराम V/s दानाराम वगै.

राजस्व वाद 78/2019 - RCMS - AW - 2019/00148

निर्णय दि. 11-12-2019

नजरी नक्शा

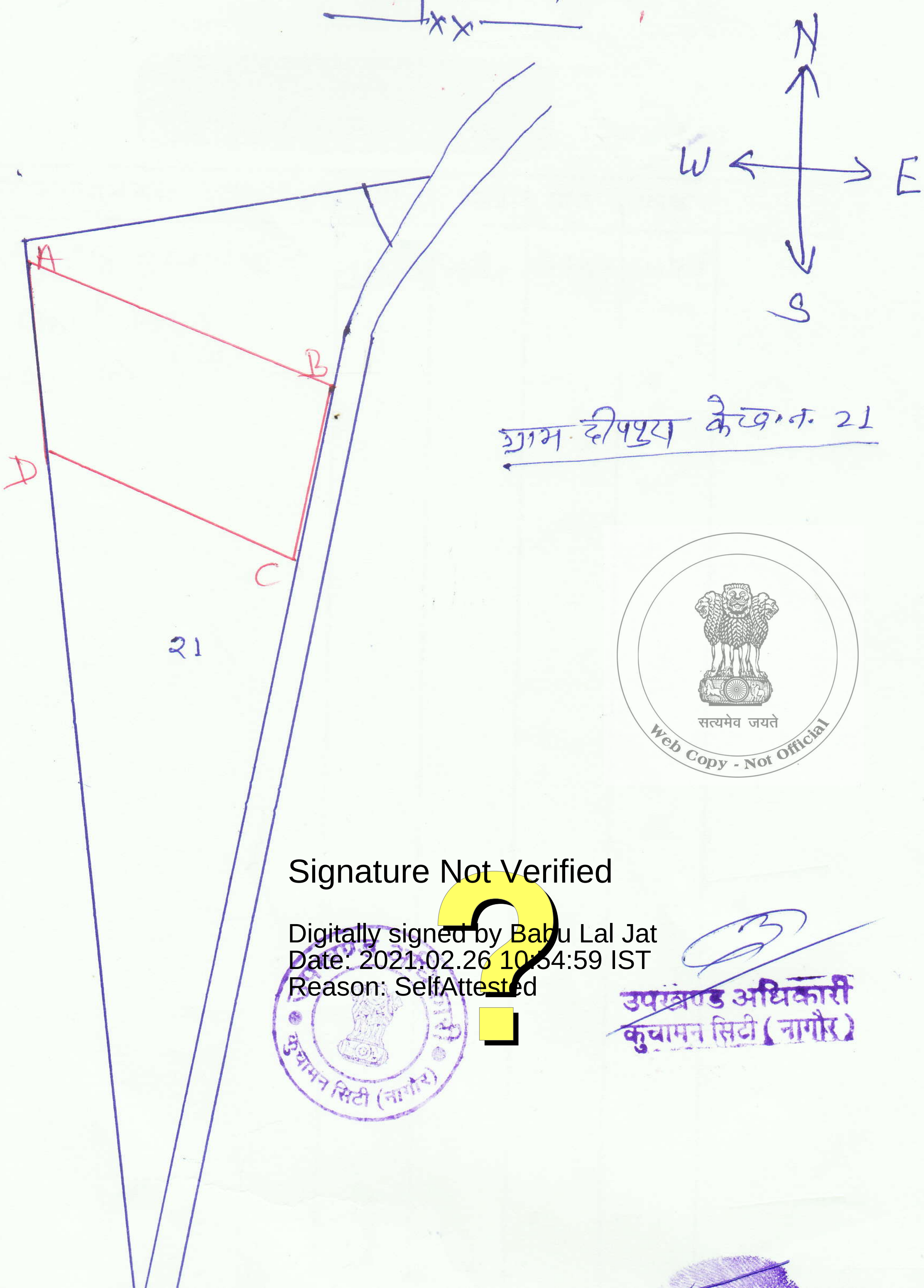

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:54:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>डिक्री मुकदमा इन्तेहाई</u>
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 78 / 2019 **(RCMS No. 2019/00146)**

<u>वादी</u>

1. चोखाराम पुत्र कानाराम जाति बलाई निवासी कांकरिया तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान

<u>बनाम</u>

<u>प्रतिवादीगण</u>

1. दानाराम पुत्र गणेशराम जाति रेगर निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
2. नारायणराम पुत्र प्रेमाराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. मुकेश पुत्र भरतलाल जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
4. मदनलाल पुत्र मंगनाराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
5. मूलचन्द पुत्र मंशाराम जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
6. श्रीमति शान्तिदेवी पत्नी स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
7. पूरणमल पुत्र स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
8. मीरादेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
9. कोयलीदेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
10. सावित्रीदेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
11. आंचीदेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
12. मुन्नीदेवी पुत्री स्व. हणमानराम जाति रेगर निवासी चारणवास तहसील कुचामनसिटी
13. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल, कुचामनसिटी
14. राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

वाद बाबत भू–विभाजन एवं इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T. Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरा अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 21 रकबा 1.28 हैक्टर मे से 0.12 हैक्टर का वादी को नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible] वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]न		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फिस कमिश्नर			[illegible]जराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]रिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:54:59 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official